

आर टी आई मामला/समयबद्ध

फा. सं. II. 18015/20/2013-एन एम III

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
(नक्सल प्रबंधन प्रभाग)

नैर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक : ७ मई, 2013

सेवा में

श्री अजय कुमार
ग्राम एवं डाकघर-मोहल्ला भाटन टोला,
नगर पंचायत नगरम,
जिला-लखनऊ (उत्तर प्रदेश)

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आपके दिनांक 30.3.2013 के आवेदन के तहत मांगी गई सूचना।

कृपया उपर्युक्त विषय पर इस मंत्रालय के दिनांक 11 अप्रैल, 2013 के कार्यालय जापन सं. ए-43020/01/2013-आर टी आई का अवलोकन करें।

2. ऊपर उल्लिखित आवेदन के मुद्दा सं. (1) से (15) के संबंध में उपलब्ध सूचना निम्नानुसार है:-

2.1 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं और कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने से संबंधित कार्रवाई मुख्यतः संबंधित राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आती है, जो राज्यों में वामपंथी उग्रवाद से संबंधित गतिविधियों से जुड़े विभिन्न मुद्दों से जिपटती हैं। केन्द्र सरकार स्थिति की गहन रूप से निगरानी करती है तथा सुरक्षा एवं विकास से संबंधित अनेक उपायों के जरिए राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करती है, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ सुरक्षा संबंधी व्यय (एस आर ई) योजना के अंतर्गत, नक्सल-रोधी अभियानों पर राज्य सरकारों द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति शामिल है। हिंसा की स्थिति के आधार पर, वर्तमान में, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 9 राज्यों के 106 जिले एस आर ई योजना में शामिल हैं। इन जिलों की सूची संलग्न है। 1996 में इसकी शुरुआत से अब तक वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों को एस आर ई योजना के अंतर्गत 1137 करोड़ रु. की धनराशि जारी की जा चुकी है।

2.2 केन्द्र सरकार ने निम्नलिखित तीन वामपंथी उग्रवादी संगठनों को विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के अंतर्गत 'आतंकवादी संगठनों' की अनुसूची में शामिल किया है :

(i) कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी-लेनिनवादी)-पीपुल्स वार, इसके सभी गुट और प्रमुख संगठन;

- (ii) माओस्टि कम्युनिस्ट सेंटर (एम सी सी), इसके सभी गुट और प्रमुख संगठन;
(iii) कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी), इसके सभी गुट और प्रमुख संगठन;

3. आपके आवेदन की प्रति, इस मंत्रालय के अन्य केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों को अग्रेषित की गई है जिससे कि उपलब्ध सूचना आपको सीधे मुहैया कराई जा सके।

4. अधिनियम की धारा 19 (1) के तहत अपील, यदि कोई हो, इस पत्र के प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन के भीतर की जा सकती है और इस सूचना के संबंध में अपील, श्री एम. ए. गणपति, संयुक्त सचिव, नक्सल प्रबंधन प्रभाग, कक्ष सं. 193-ए/1, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001 को की जा सकती है।

संलग्नक: यथोपरि


(शांतनु)

निदेशक एवं केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी


प्रति प्रेषित:-

- श्री दलजीत सिंह चौधरी, निदेशक (एन एन ओ-।) एवं केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक को, आवेदन में मांगे गए अनुसार उपलब्ध सूचना सीधे आवेदक को मुहैया कराने के लिए आवेदन की प्रति सहित।
- श्री टीपक कुमार केड़िया, उप सचिव (एन एन ओ) एवं केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक को आवेदन की प्रति सहित ताकि आवेदक को उपलब्ध सूचना सीधे मुहैया कराई जा सके।
- श्री के. एस. कुशल कुमार, उप सचिव (एन एम.॥) एवं केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक को आवेदन की प्रति सहित ताकि आवेदक को उपलब्ध सूचना सीधे मुहैया कराई जा सके।
- श्री राजेश कुमार, लेखा नियंत्रक (गृह) एवं केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक को आवेदन की प्रति सहित ताकि आवेदन के मुद्दा सं. (12) के संबंध में उपलब्ध सूचना आवेदक को सीधे मुहैया कराई जा सके।
- श्री सुरोजित घोष, अवर सचिव (आर टी आई), गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक को दिनांक 11 अप्रैल, 2013 के कार्यालय जापन सं. ए-43020/01/2013-आर टी आई के संदर्भ में।

वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों के लिए सुरक्षा संबंधी व्यय योजना के अंतर्गत शामिल 106 जिलों की सूची

क्र. सं.	राज्य	जिलों की संख्या	जिलों के नाम
1.	आंध्र प्रदेश	16	अनंतपुर, अदिलाबाद, पूर्वी गोदावरी, गुंटूर, करीमनगर, खम्माम, कुरनूल, मेडक, महबूबनगर, नलगोणडा, प्रकाशम, श्रीकाकुलम, विशाखापट्टनम, विजयनगरम, वारंगल और निजामाबाद
2.	बिहार	22	अरवल, औरंगाबाद, भोजपुर, पूर्वी चम्पारण, गया, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, मुंगेर, नालंदा, नवादा, पटना, रोहतास, सीतामढ़ी, पश्चिमी चम्पारण, मुजफ्फरपुर, शिवहर, वैशाली, बांका, लखीसराय, बेगूसराय और खगड़िया
3.	छत्तीसगढ़	16	बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, जशपुर, कांकेर, कोरिया, (वैकुंठपुर), नारायणपुर, राजनंदगांव, सरगुजा, धमतारी, महासमुद्र, गरियाबंद, बालोद, सुकमा, कोडागांव और बलरामपुर।
4.	झारखण्ड	21	बोकारो, चतरा, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, गिरिडीह, गुमला, हजारीबाग, कोडरमा, लातेहर, लोहरदग्गा, पलामू, राँची, सिमडेगा, सरायकेला-खरसवान, पश्चिमी सिंहभूम, खूटी, रामगढ़, दुमका, देवघर और पाकुरा।
5.	मध्य प्रदेश	1	बालाघाट
6.	महाराष्ट्र	4	चन्द्रपुर, गढ़चिरौली, गौड़िया और अहेरी।
7.	ओडिशा	19	गजपति, गंजम, क्योङ्गर, कोरापुट, मल्कानगिरि, मयूरभंज, नवरंगपुर, रायगढ़, संभलपुर, सुंदरगढ़, नयागढ़, कंधमाल, देवगढ़, जाजपुर, धैकनाल, कालाहांडी, नुआपाडा, बारगढ़ और बोलनगिर।
8.	उत्तर प्रदेश	3	चंदौली, मिर्जापुर और सोनभद्र।
9.	पश्चिम बंगाल	4	बांकुरा, पश्चिमी मिदनापुर, पुरुलिया और बीरभूम
	कुल	106	

२०४२) श्रीमान जनसूचनाधिकारी/प्रमुख सचिव
११०५१३



सेवा में,

श्रीमान जनसूचनाधिकारी/प्रमुख सचिव
गृह भारत सरकार नई दिल्ली

विषय—: प्रार्थी को शोधकार्य हेतु सूचनाधिकार अधिनियम -2005 के तहत सूचना प्रदान करने हेतु प्रार्थना-पत्र—:

महोदय,

मैं प्रार्थी ग्रामीण विकास का शोध छात्र हूँ मुझे अपने शोधकार्य हेतु निम्नलिखित सूचनायें प्रदान करने की कृपा करें।

1—नक्सलवादी आंदोलन के प्रारम्भ से 1990 तक देश में कितने प्रदेश नक्सलवादी आंदोलन से प्रभावित थे एवं वर्तमान में कितने प्रदेश नक्सलवादी आंदोलन से प्रभावित है उनकी सूची नाम सहित उपलब्ध करायें।

2—नक्सलवादी आंदोलन के प्रारम्भ से 1990 तक नक्सलवाद से प्रभावित प्रदेशों में कितने जिले तथा गाँव नक्सलवादी आंदोलन से प्रभावित थे। वर्तमान में कितने हैं। संख्या में उपलब्ध करायें।

3— नक्सलवादी आंदोलन के प्रारम्भ से 1990 तक देश के कुल कितने प्रतिशत भू-भाग पर इसका विस्तार था। वर्तमान में कितने प्रतिशत भू-भाग पर इसका विस्तार है।

4—पूरे देश में नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों में नक्सलवादी आंदोलन के प्रारम्भ से 1990 तक कितने किसानों, मजदूरों तथा बेरोजगारों ने आत्महत्यायों की हैं एवं कितने लोग स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में मरे, तथा कितनी भूख से मौतें हुई और कितनी महिलाओं के साथ बलात्कार एवं अमानवीय घटनायें हुई, एवं इन क्षेत्रों में कितने मानवाधिकार के मामले दर्ज किये गये। संख्या में उपलब्ध करायें।

5— पूरे देश में 1991 से 2012 तक कितने किसानों, मजदूरों तथा बेरोजगारों ने आत्महत्यायों की हैं एवं कितने लोग स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में मरे, तथा कितनी भूख से मौतें हुई और कितनी महिलाओं के साथ बलात्कार एवं अमानवीय घटनायें हुई, एवं इन क्षेत्रों में कितने मानवाधिकार के मामले दर्ज किये गये। संख्या में उपलब्ध करायें।

6—पूरे देश में नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों में नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों में नक्सलवादी आंदोलन के प्रारम्भ से 1990 तक पुलिस एवं सैन्य बल की बर्बता के कारण कितने लोग

मौत का शिकार हुए है। तथा कितने मानवाधिकार हनन के मामले दर्ज किये गये हैं। संख्या में उपलब्ध करायें।

7-पूरे देश में 1991 से 2012 तक पुलिस एवं सैन्य बल की बर्बता के कारण कितने लोग मौत का शिकार हुए हैं। तथा कितने मानवाधिकार हनन के मामले दर्ज किये गये हैं। संख्या में उपलब्ध करायें।

8- पूरे देश में नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों में नक्सलवादी आंदोलन के प्रारम्भ से 1990 तक कितने नक्सली मारे गये, कितने गिरफ्तार किये गये, एवं नक्सलियों ने कितने लोगों को मारा, कितने अपहरण किये। नक्सलियों के पास वर्तमान में कितने सशस्त्र कैडर हैं एवं कितने पार्टी सदस्य तथा कितने सामान्य सदस्य हैं।

9- पूरे देश में 1991 से 2012 तक कितने नक्सली मारे गये, कितने गिरफ्तार किये गये, एवं नक्सलियों ने कितने लोगों को मारा, कितने अपहरण किये। नक्सलियों के पास वर्तमान में कितने सशस्त्र कैडर हैं एवं कितने पार्टी सदस्य तथा कितने सामान्य कार्यकर्ता हैं।

10-नक्सलियों ने पूरे प्रदेश के अन्दर 1991 से 2012 कितने स्कूल उड़ायें, कितने पचांयत भवन उड़ायें, कितनी सड़के उड़ायी एवं अन्य सरकारी इमारतों को नुकसान पहुचाया हैं।

✓ 11- वर्तमान में देश के अन्दर कितने वामपंथी संगठन प्रतिबंधित हैं उनकी सूची उपलब्ध करायें।

12-1991 से 2012 तक कुल कितनी धनराशि नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा के नाम पर खर्च की गयी। तथा कितनी धनराशि विकास के नाम पर खर्च की गयी केवल संख्या में उपलब्ध कराये। वर्तमान में देश के कुल रक्षा बजट का कितने प्रतिशत धनराशि नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा के नाम खर्च किया जा रहा है।

13- पूरे देश में नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों में नक्सलवादी आंदोलन के प्रारम्भ से 1990 तक कितने लोगों को विस्थापित किया गया उनमें से कितने प्रतिशत लोगों को पुनर्वासित किया गया तथा 1991 से 2012 तक कितने लोगों को विस्थापित किया गया उनमें से कितने प्रतिशत लोगों को पुनर्वासित किया गया उनकी संख्या SC, ST/आदिवासी, OBC तथा समान्य वर्ग की अलग-2 बताये।

14- पूरे देश में नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों में नक्सलवादी आंदोलन के प्रारम्भ से 1990 तक कितने लोग भूमिहीन थे एवं वर्तमान में कितने प्रतिशत लोग भूमिहीन हैं। उनकी संख्या SC, ST/आदिवासी, OBC तथा समान्य वर्ग की अलग-2 बताये।

15- हमारी सरकार नक्सलवाद को क्या मानती है? इसकी क्या परिभाषा है?

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि ग्राथी को उपरोक्त बिन्दुओं की सूचना अतिशीघ्र प्रदान करने की कृपा करें, ताकि ग्राथी अपना शोध कार्य अतिशीघ्र पूरा कर सके।

आपकी महान कृपा होगी।

ग्राथी

Ajay Kumar

दिनांक-:30.03.2013

अजय कुमार पुत्र श्री महराजदीन वर्मा

शोध छात्र

मॉ.गा.वि.ग्रा.वि.वि.चि.सतना (मध्यप्रदेश)

सूचना देने का पता-:ग्राम व पोस्ट-:मोहल्ला भाटन टोला,
नगर पंचायत नगराम जनपद-: लखनऊ २०प्र०

संलग्न-:

1. विश्वविद्यालय कि विभागाध्यक्ष का प्रमाणपत्र की छायांप्रति।
2. विश्वविद्यालय के आई.कार्ड. की छायांप्रति।
3. 10 रुपये का पोस्टल आर्डर साथ में संलग्न हैं।

पौन्टन आई.सी.टी.

06F 811 056

महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट,
सतना मो प्र०

डॉ अमरजीत सिंह

विभागाध्यक्ष

ग्रामीण प्रबन्धन विभाग

क्र० RD&BM/13/265

दिनांक: 07.03.2013

प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि अजय कुमार पुत्र श्री महराजदीन वर्मा इस विश्वविद्यालय के एक पंजीकृत शोध छात्र हैं, जो "ग्रामीण विकास के समक्ष उपस्थित नक्सलवादी समस्या के समाधान हेतु गांधीवादी चिन्तन का रचनात्मक विकल्प" (उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के विशेष संदर्भ में) विषय पर शोध कार्य कर रहे हैं। ये अपने शोध कार्य से सम्बन्धित तथ्यों के संकलन के लिए विभिन्न पुस्तकालयों, ग्रन्थालयों एवं प्रशासकीय संगठनों में सम्पर्क करेंगे।

अतः कृपया शोध छात्र अजय कुमार को उसके शोध कार्य सम्पादन में आवश्यक सहयोग प्रदान करें।

(डॉ अमरजीत सिंह)

Head of Department
Rural Management RD & BM
MGBU, Chitrakoot, Satna (M.P.)

X


Permanent address and telephone No.: VILL: A.D. Post
 Nagarjuna Distr: 24 P.C.H. Now: H.P.
 09584396545

Current address and telephone No.: Safatik Singh
 Chittakoot Satna 09584396545

Instruction :

- Always keep this Identity Card in and out of the campus.
- Inform hastily to proctor Office in case of loss and damage of Identity Card.
- Identity Card be deposited or cancelled by the Chief- Proctor if needed.

Chief Proctor

Identity Card (Not Transferable)	
 MAHATMA GANDHI CHITRAKOOT GRAMODAYA VISHWAVIDYALAYA CHITRAKOOT, SATNA (M.P.)	
Name in Full	A.S. KUMAR
Date of Birth	07-03-1982
Course/Class	21-N
Session/Duration	2010-11
Faculty	Moderator
(i) Blood group	AB
(ii) Diabetic or not	
(iii) Chronic illness, if any	
Signature of the Student	A.S. KUMAR
 <i>12/3/11</i> <i>Signature of Chief Proctor</i>	